+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

YOJANA MAGAZINE ANALYSIS

(योजना पत्रिका विश्लेषण)

(ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस)

(January 2024)

(Part I)

TOPICS TO BE COVERED

- संपादकीय: जन विश्वास
- जन विश्वास अधिनियम, 2023: संकल्पना, संवर्धन और भविष्य का रास्ता
- नागरिकों पर भरोसा

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

संपादकीय: जन विश्वास

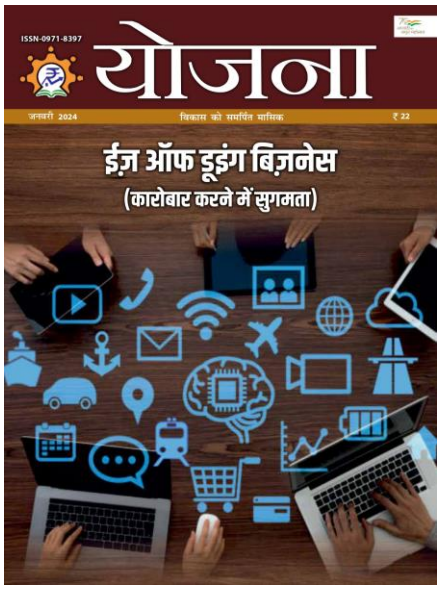

- सामान्य तौर पर व्यवसायों के सुचारू संचालन और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कारोबार सुगमता एक बुनियादी आवश्यकता होती है। विनियामक अनुपालन के युक्तिकरण, सरलीकरण और डिजिटलीकरण पर केन्द्रित नीति के साथ भारत व्यापार करने में आसानी के लिए सुधारों के पथ पर दृढ़ बना हुआ है।
- जन विश्वास प्रावधानों के संशोधन अधिनियम ने अधिक व्यापार-अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस में सुधार की नींव रखी है।
- यह विधायी प्रयास, जिसका उद्देश्य कई नियमों को सरल और सुव्यवस्थित करना है, ऐसे वातावरण को बढ़ावा देने के प्रति समर्पण को दर्शाता है जो आर्थिक विकास और उद्यमशीलता के लिए अनुकूल है।
- जन विश्वास संशोधन, नौकरशाही बाधाओं को कम करने के उद्देश्य से व्यापक नियामक सुधारों को सामने लाता है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- इसके मार्गदर्शक सिद्धांत एक निष्पक्ष कानूनी प्रणाली को उच्च प्राथमिकता देते हैं जो छोटे आपराधिक दंडों के बजाय कम गंभीर अपराधों के लिए प्रशासनिक कार्यवाही या दीवानी दंड को प्रतिस्थापित करती है। इसका उद्देश्य प्रकाशन, पत्रकारिता, कृषि और पर्यावरण सहित विभिन्न उद्योगों में 42 अधिनियमों में 183 प्रावधानों को अपराधमुक्त करके नियामक प्रवर्तन और अनुकूल कारोबारी माहौल को बढ़ावा देने के बीच एक नाजुक संतुलन हासिल करना है। यह क्रांतिकारी कदम इस बदलाव का द्योतक है कि भारत में व्यापार करना कितना आसान है।
- दंड में महत्वपूर्ण बदलाव जनविश्वास अधिनियम की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक हैं। इस सुनियोजित परिवर्तन के साथ, उल्लंघनों को और अधिक दृढ़ता से हतोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे व्यवसाय संचालन में हस्तक्षेप किए बिना अधिक मजबूत प्रवर्तन प्रणाली की गारंटी दी जा सके।
- इस कानून को लागू करने में सरकार का लक्ष्य आम तौर पर सार्वजनिक कल्याण में सुधार करना, निवेश को प्रोत्साहित करना और उद्यमों के लिए अनुपालन के बोझ को कम करना है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- यह अधिनियम, नियामक ढांचे को हल्का करता है और कंपनियों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (एमएसएमई) पर बोझ कम करता है, जो अक्सर अपनी दैनिक गतिविधियों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। इन सुधारों से मुख्य रूप से उन्हें, अपने वैश्विक समकक्षों की तुलना में अधिक समान अवसर देकर लाभ पहुंचाया जाएगा।
- योजना के इस संग्रहणीय अंक में, व्यवसायों पर अनुपालन बोझ को कम करने, अधिक निवेश आकर्षित करने और विश्वास-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने में जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन अधिनियम की विशिष्टता का वर्णन किया गया है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

जन विश्वास अधिनियम, 2023: संकल्पना एवं संवर्धन और भविष्य का रास्ता

जन विश्वास अधिनियम को बनाने के लिए निर्देशित करने वाले मूलभूत सिद्धांत क्या थे?

- व्यवसायों और नागरिकों पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में व्यवस्थित रूप से कार्य जारी है। व्यवसायों पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए छोटे अपराधों को अपराधमुक्त करना महत्वपूर्ण स्तभों में से एक है।
- इस विधायी प्रयास के लिए प्रेरणा 29 जून 2022 को आयोजित सचिवों की समिति की बैठक में चर्चा के दौरान मिली, जहां विभिन्न मंत्रालयों में गैर-अपराधीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने पर विचार किया गया।

- प्रधानमंत्री ने एक सामान्य संशोधन विधेयक का सुझाव दिया और उन संभावनाओं पर प्रकाश डाला जिनकी बदौलत विभिन्न क्षेत्रों में गैर-अपराधीकरण प्रयासों को

एकीकृत किया जा सकता है और न्यायपालिका तथा विधायी विभाग का समय बचाया जा सकता है। सरकार पहले कुछ पुराने कानूनों को पूरी तरह से निरस्त कर चुकी थी और यह गैर-अपराधीकरण के बदले कई अधिनियमों में एक साथ संशोधन करने वाला एक नया सामान्य संशोधन विधेयक था।

- इसके मूलभूत सिद्धांतों ने एक संतुलित कानूनी ढांचे को प्राथमिकता दी है जो गैर-हानिकारक अपराधों के लिए मामूली आपराधिक सजा को दीवानी दंड या। प्रशासनिक कार्रवाइयों से बदल देता है।

उद्योगों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों को समझने का प्रयास:

- जन विश्वास विधेयक के प्रारंभिक प्रारूपण के बाद, उद्योग संघों और संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक जुड़ाव के प्रयास किए गए।
- इस समावेशी दृष्टिकोण ने सुनिश्चित किया कि विविध दृष्टिकोणों पर विचार किया गया और मूल्यवान सुझाव मांगे गए।
- विभिन्न उद्योगों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों को समझने के लिए निरंतर संवाद को बढ़ावा देते हुए नियमित संचार चैनल स्थापित किए गए।
- व्यापक लक्ष्य ऐसा कानून तैयार करना था जो न केवल नियामक जटिलताओं को संबोधित करता हो, बल्कि जमीनी स्तर पर व्यवसायों द्वारा सामना की जाने वाली व्यावहारिक जरूरतों और चुनौतियों को भी प्रतिबिंबित करता हो।

न्यायिक प्रणाली के बोझ को कम करने का प्रयास:

- इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ऐसे छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना है जिनमें सार्वजनिक हित था राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई नुकसान नहीं होता है और उनके स्थान पर दीवानी दंड या प्रशासनिक कार्रवाई की व्यवस्था करना है।
- छोटी, तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूक के अब गंभीर आपराधिक परिणाम नहीं होगे, न्याय प्रणाली पर बोझ कम होगा और गंभीर अपराधों के न्यायनिर्णयन को प्राथमिकता दी जाएगी।
- जन विश्वास अधिनियम के कार्यान्वयन का अनिवार्य रूप से मतलब है कि 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों से उत्पन्न होने वाले अधिकांश मामलों का फैसला अब अदालतों द्वारा नहीं किया जाएगा।
- छोटे अपराधों से निपटने के लिए, उपयुक्त प्रशासनिक न्यायनिर्णयन तत्र भी पेश किए गए हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति दंड से संबंधित निर्णय अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उसे एक अपीलीय तंत्र भी प्रदान किया गया है।
- इस कानून का अधिनियमन कानूनों को तर्कसंगत बनाने बाधाओं को दूर करने और व्यवसायों के विकास को बढ़ावा देने की यात्रा में एक मील का पत्थर है। यह

कानून विभिन्न कानूनों में भविष्य के संशोधनों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम करेगा।

मीडिया और जनता की प्रतिक्रिया:

- इस नवीन अभ्यास पर तत्काल जनता और मीडिया की प्रतिक्रिया अत्यधिक सकारात्मक थी। आम जनता छोटी प्रकृति के अपराधों को पहचान करने और उन्हें आर्थिक दंड देकर अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए सचेत प्रयासों की सराहना करती है।
- यह महसूस किया गया कि यह अनिवार्य रूप से न केवल अर्थव्यवस्था, जिसमें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग शामिल है, को बढ़ावा देने में मदद करेगा साथ-साथ न्यायिक बोझ को भी कम किया जा सकेगा।
- छोटे अपराधों को अपराध को श्रेणी से बाहर करने के लिए अधिनियम के तहत संशोधन निम्नलिखित सिद्धांत के आधार पर किए गए है (1) ऐसे अपराध जहां गलत मंशा (दुर्भावनापूर्ण या आपराधिक इरादा) अनुपस्थित है और (2) ऐसे अपराध जहां व्यापक सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
- उदाहरण के लिए, भारतीय वन अधिनियम में वन भूमि पर मवेशी चराने के लिए कारावास का प्रावधान था। कारावास और जुर्माने को जगह अब आर्थिक दंड

(पेनल्टी) ने ले ली है। इस संशोधन से उन आदिवासियों और ग्रामीणों को लाभ होगा जो मवेशी चराते समय अनजाने में वन भूमि में प्रवेश कर जाते हैं। चूंकि उल्लंघन प्रकृति में गंभीर नहीं है और जानबूझकर नहीं किया गया है इसलिए कारावास के प्रावधान उचित नहीं थे। हालांकि अभी भी 500 रुपये का जुर्माना लगाकर रोकथाम हासिल करने का प्रस्ताव है।

भविष्य में इस तरह के प्रयास को आगे बढ़ाने की संभावना:

- उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) पहले से ही एक अन्य सामान्य संशोधन विधेयक अर्थात् जन विश्वास 2.0 के लिए संकलित किए जाने वाले छोटे आपराधिक प्रावधानों की पहचान करने की प्रक्रिया में है।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने भी विभिन्न मंचों पर कहा है कि "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक निरंतर प्रयास होगा।" वैधीकरण (गैर-अपराधीकरण), भारत सरकार द्वारा अनुपालन को तर्कसंगत बनाने की निरंतर प्रक्रिया का एक प्रमुख हिस्सा है।
- जन विश्वास विधेयक के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति ने यह भी सिफारिश की कि अन्य अधिनियमों की समीक्षा करके और संसद के समक्ष इसी तरह का कानून लाकर भविष्य में भी ऐसी कवायद जारी रखी जानी चाहिए।

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक कैसे बढ़ाया जा सकता है?

- संसदीय पैनल ने केंद्र को सुझाव दिया था कि वह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जन विश्वास विधेयक की तर्ज पर छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए प्रोत्साहित करे।
- राज्य विधानमंडलों में गैर-अपराधीकरण) अभियान में यह लगातार उजागर किया गया है कि केंद्रीय विधानों का प्रभाव अधिक होने के कारण राज्य सरकारें छोटे आपराधिक प्रावधानों को अपराधमुक्त करने में असमर्थ होती हैं। ऐसे पहचाने गए केंद्रीय अधिनियमों को जांच के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण का सभी राज्य विधानों के बाद के गैर-अपराधीकरण के माध्यम से गहरा प्रभाव पड़ेगा। DPIIT ने चयनित राज्यों के साथ बैठकें की हैं और जन विश्वास 2.0 के तहत विचार के लिए ऐसे आकस्मिक केंद्रीय अधिनियमों के लिए प्रस्तुतियाँ आमंत्रित की है।

भारत के समग्र नियामक विकास पर लागू करने के लिए क्या सीख ली जा सकती है?

- सरकार को इसी तरह की प्रमुख पहलों को दोहराने के लिए संचार के स्पष्ट चैनलों और अंतर-मंत्रालयी समन्वय के संबंध में जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकता है।

- विनियामक अनुपालन यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि विनियमन और संबंधित सार्वजनिक नीतियां अपने इच्छित सार्वजनिक परिणामों को प्राप्त करें - अर्थात आर्थिक और सामाजिक विकास का समर्थन करते हुए किसी देश में सार्वजनिक कल्याण के प्रमुख तत्वों की सुरक्षा करना।

भविष्य का रास्ता:

- वैधीकरण (गैर-अपराधीकरण) स्वैच्छिक अनुपालन का जीवनयापन में भी सुगमता को बढ़ाते हैं। यह अंततः एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद करेगा, जो सरकार को 'विनियामक प्रभाव आकलन (RIA)' की सुविधा प्रदान करने में भी सहायता करेगा।
- उल्लेखनीय है कि विनियामक प्रभाव आकलन प्रस्तावित और मौजूदा नियमों के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का गंभीर रूप से आकलन करने के लिए एक प्रणालीगत दृष्टिकोण है। RIA के कार्यान्वयन से डाटा आधारित नीति निर्माण, लचीले 'परिणाम-उन्मुख' विनियमन की ओर एक कदम और लागत-लाभ विश्लेषण के माध्यम से नियमों के उचित कार्यान्वयन में मदद मिलेगी।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

नागरिकों पर भरोसा:

जनविश्वास जनता पर भरोसा करना:

- जैसा कि अधिनियम के संक्षिप्त शीर्षक से स्पष्ट है कि यह प्रधानमंत्री के उस दृष्टिकोण का हिस्सा है जिसके तहत लोगों पर भरोसा करने के लिए विभिन्न उपाय लागू किये जाए न कि सिर्फ लोग ही सरकार पर भरोसा करें।
- यह अधिनियम उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में से एक था जिनका उद्देश्य देश में जीवनयापन और व्यवसाय करना आसान बनाना था। नागरिकों के लिए जीवनयापन में आसानी और व्यवसाय करने में आसानी हासिल करने के लिए कई औपनिवेशिक अधिनियमों को या तो निरस्त कर दिया गया या उनमें संशोधन किया गया। जन विश्वास कानून आपराधिक दंडों को खत्म करने और उन्हें मौद्रिक दंड में बदलने के प्रयास का हिस्सा है।

- यह पहली बार है कि विश्वास-आधारित शासन के हिस्से के रूप में जेल की सजा को हटाने और मौद्रिक दंड में बदलने के लिए कानूनों में बड़े पैमाने पर संशोधन किया गया है।

- सरकार को लोकतांत्रिक शासन में अपने लोगों और संस्थानों पर भरोसा करने की जरूरत है। इस समेकित संशोधन प्रक्रिया का उद्देश्य सरकार और शासित के बीच विश्वास की कमी को दूर करना है। कारावास को मौद्रिक दंड में बदलने से मुकदमा करने वालों और आपराधिक अदालतों, दोनों पर बोझ कम हो जाता है, जिससे पक्षकारों को प्रशासनिक, न्यायिक और अपीलीय तंत्र के माध्यम से मामूली उल्लंघनों एवं अपराधों को निपटाने में मदद मिलती है।

जुर्माने और सजा का आवधिक पुनरीक्षण:

- नए कानून का उद्देश्य जहां भी संभव हो छोटे अपराधों के लिए कारावास को मौद्रिक दंड में बदलना और अपराधों की गंभीरता के आधार पर दंड को तर्कसंगत बनाना है।
- दंडों के युक्तिकरण में उल्लंघनों की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर, कुछ प्रमुख अपराधों के लिए भारी मौद्रिक दंड पर भी विचार किया गया है।
- नया विचार यह था कि अधिनियम लागू होने के बाद हर पांच साल में न्यूनतम जुर्माना और दंड में दस प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रावधानों को शामिल किया जाए। इससे अधिनियम में बार-बार संशोधन करने से बचा जा सकता है, जिससे

मुद्रास्फीति और धन के अवमूल्यन के अनुरूप अर्थदंड और जुर्माने में थोड़ी वृद्धि की सुविधा मिलती है।

जन विश्वास कानून सदैव कायम रहने वाला:

- हालांकि जन विश्वास अधिनियम एक संशोधित कानून है. लेकिन इसे कानून की किताब से हटाने के लिए किसी भी नियमित निरसन और संशोधन कानून के तहत निरस्त नहीं किया जा सकता है।
- यह कुछ कारावास को स्थायी रूप से मौद्रिक एड में परिवर्तित करता है, कुछ दंडात्मक प्रावधानों को तर्कसंगत बनाता है, और उल्लंघनों के वैकल्पिक समाधान प्रदान करता है। इसलिए, इसका कानून की किताब में एक स्थायी स्थान है और यह एक स्टैंडअलोन कानून है।